

वाराणसी जोन के अन्तर्गत

वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फैजाबाद,
गोरखपुर एवं गोण्डा

आवंटन/
नीलामी तिथि :
30.03.2016

समय :
प्रातः 10.30 बजे

नगरों के आवासीय/व्यावसायिक भूखण्डों, दुकानों, कम्युनिटी फेसिलिटी भूखण्डों एवं भवनों की
नीलामी/आवंटन

नीलामी स्थल : वाराणसी जोन कार्यालय, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	आरक्षित दर प्रति वर्गमीटर	अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी					
कम्युनिटी फेसिलिटी-सेक्टर-1 (अनारक्षित)	01	1480.00		24640.00	18.24
डोमरौली योजना, मिर्जापुर					
व्यवसायिक भूखण्ड सं.-सी.पी.-114 (अनारक्षित)	01	289.45		19712.00	5.71
सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर					
आवासीय भूखण्ड - डी-2/1, डी-10 (अनारक्षित)	02	255.00 एवं 232.00		19920.00	2.54 एवं 2.31
शाहपुर योजना-2/3, गोरखपुर					
दुकानें LGFS-1,6,7,12 (अनारक्षित)	04	9.922		11.00	1.11
दुकानें LGFS-2,3,4,5,8,9,10,11 (अनारक्षित)	08	9.633		10.69	1.07
अवधपुरी योजना, फैजाबाद					
व्यवसायिक भूखण्ड - सी०पी०-1341/1 (अनारक्षित)	01	243.81		16800.00	4.10
कियोस्क के-1 से के-4 (अनारक्षित)	04	4.50 प्रति नग		1.80 प्रति नग	0.18 प्रति नग
प्लेटफार्म पी-3 एवं पी-4 (अनारक्षित)	02	2.00 प्रति नग		1.00 प्रति नग	0.10 प्रति नग
भरतपुरी योजना, गोण्डा					
आवासीय भूखण्ड पी-1437 कार्नर (अनारक्षित)	01	348.00		8624.00	1.51
प्राईमरी स्कूल -फेज-2 (अनारक्षित)	01	1587.50		8470.00	13.45
प्राईमरी स्कूल -फेज-3 (अनारक्षित)	01	1826.82		8470.00	15.48
जी.टी.बी. नगर योजना, इलाहाबाद					
E.W.S. बी-359/1 से लगी अतिरिक्त भूमि (अनारक्षित)	01	25.00		20160.00	25200.00
E.W.S. बी-359/2 से लगी अतिरिक्त भूमि (अनारक्षित)	01	25.00		20160.00	25200.00

नोट : (1) शैक्षिक भूखण्डों हेतु सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, 80-भरतपुरी योजना, आवास विकास कालोनी, गोण्डा से नकद जमा करके पुस्तिका प्रकाशन से एक माह तक प्राप्त कर पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों के साथ जमा कर सकते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शार्ट लिस्टिंग के उपरान्त बैच/प्राप्त आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा। प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अंतिम निर्णय लिया जायेगा। (2) "पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी में विस्थापित कोटे के अन्तर्गत आवासीय भूखण्ड संख्या- 2ए/14, 2ए/15, 2ए/53 एवं 2ए/61 पात्र व्यक्तियों के मध्य आवंटन किया जाएगा।"

सामान्य सूचना : (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जायेगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100/- जमा कर सम्बन्धित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद" के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सीलड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) सम्पत्ति का आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

परिषद की विभिन्न योजनाओं के बकायेदारों हेतु एकमुश्त समाधान योजना (ओ.टी.एस.) की सुविधा मार्च, 2016 तक उपलब्ध है।

विशेष सूचना :- परिषद के आवंटियों/ग्राहकों की शिकायतों/समस्याओं के निस्तारण हेतु उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा प्रत्येक माह के तृतीय बृहस्पतिवार को "परिषद दिवस" का आयोजन जोनल कार्यालय एवं परिषद के लखनऊ स्थित मुख्यालय कार्यालय पर प्रातः 10.00 से 12.30 तक किया जाता है। अवकाश की दशा में परिषद दिवस का आयोजन अगले कार्यदिवस में होगा।

आवास आयुक्त

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए जन-सुविधा केन्द्र की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। डायल करें: **1800-180-5333 (दोल-भरी) 0522-2236803**
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपलब्ध है।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सेवोत्तम प्रमाणित
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
Website : <http://www.upavp.com> E-mail : info@upavp.com

